187

प्रेषक,

संख्या- /X-2-2013-12(31)/2007 टी0सी0

मनोज चन्दन
अपर सचिव
उत्तराखण्ड शासन.

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक
उत्तराखण्ड, देहरादून.

वन एवं पर्यावरण अनुभाग-2

देहरादून : दिनांक 14 नवम्बर, 2013

विषयः- अनुदान सं0-27 के आयोजनागत पक्ष की केन्द्र पुरोनिधानित योजना- "13वें वित्त आयोग के अन्तर्गत वनों का अनुरक्षण" के अन्तर्गत वर्ष 2013-14 की वित्तीय स्वीकृति.

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड देहरादून का शासन को सम्बोधित पत्र सं0-नि0 611/3-10/3-6(13वां वित्त आयोग) दिनांक 30 सितम्बर, 2013 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वन विभाग के अन्तर्गत संचालित **"13वें वित्त आयोग के अन्तर्गत वनों का अनुरक्षण"** योजना के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 में पूर्व में शासनादेश सं0 3465(A)/X-2-2013-12(31)/2007 दि0 19 सितम्बर, 2013 द्वारा **₹ 7,68,71,000/-(₹ सात करोड़ अड़सठ लाख इकहतर हजार मात्र)** की स्वीकृति प्रदान की गयी है, के सापेक्ष उपलब्ध आय-व्ययक में अवशेष धनराशि एवं अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन के उक्त पत्र के कम में पूंजीगत पक्ष में अवशेष **₹ 13,46,92,000/-(₹ तेरह करोड़ छियालिस लाख बयानबे हजार मात्र)** की धनराशि भारत सरकार से अवमुक्त धनराशि के आलोक में **संलग्नक में उल्लिखित कार्यों** हेतु निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन व्यय करने के लिए आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) उक्त धनराशि वर्णित योजना हेतु भारत सरकार को प्रेषित प्रस्ताव के सापेक्ष अनुमोदित कार्ययोजनान्तर्गत स्वीकृत कार्यो/मदों पर दिये गये दिशा-निर्देशों के आलोक में व्यय किया जाय और किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग अन्य कार्यों के क्रियान्वयन के लिए न किया जाय।

(2) 13वें वित्त आयोग के अन्तर्गत वनों का अनुरक्षण योजना में निर्गत की जा रही वित्तीय स्वीकृति से कराये जाने वाले कार्य भारत सरकार वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, वित्त आयोग डिविजन के पत्र सं0-F.9(1) FCD/2010 दि0-07-09-2010 एवं पत्र सं0 12-8/2013-B-III दि0 13-09-2013 के द्वारा जारी किये गये दिशानिर्देश के अनुसार की जायेगी तथा इसका व्यय नियंत्रण, अनुश्रवण एवं लेखा परीक्षा आदि कार्य भी उपरोक्त दिशानिर्देश के अनुसार ही किये जाने आवश्यक एवं अनिवार्य होंगे।

(3) उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू योजनाओं पर ही किया जाये तथा विभिन्न मदों में व्यय से पूर्व वित्त अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-284/XXVII(1)/2013 दि0-30 मार्च, 2013 एवम् शासनादेश सं0-413/XXVII(1)/2013 दि0-10 जून, 2013 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जाय. शासन द्वारा वांछित सूचनायें एवं विवरण निर्धारित प्रारूप व समयबद्ध आधार पर शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय. किसी भी शासकीय व्यय हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1(वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1(लेखा नियम), वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-7, आय-व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल), उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॅक्योरमेंट) नियमावली, 2008, तथा समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा जारी वित्तीय नियमों/शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(4) आहरण वितरण अधिकारियों तथा कोषाधिकारियों को अवमुक्त धनराशि का विवरण बी0एम0-17 पर प्रत्येक माह प्रशासनिक विभाग एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक एवं अनिवार्य होगा।

(5) बी0एम0-8 पर नियमित रूप से प्रशासकीय विभाग एवं वित्त विभाग को विलम्बतम 05 तारिख तक पूर्ण माह की सूचना उपलब्ध कराई जाय।

(6) आपके निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि आहरण वितरण अधिकारियों को तत्काल अवमुक्त कर दी जाय, जिससे की फील्ड स्तर पर बजट उपलब्ध न होने की स्थिति उत्पन्न न हो, परन्तु यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि धनराशि का आहरण वास्तविक मांग आधार पर किश्तों में किया जाय।

(7) व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है. अतः व्यय करते समय मितव्ययिता के समबन्ध में समय-समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(8) मानक मदों के आहरण प्रणाली के सम्बन्ध में शासनादेश सं0-ब-06/X-2-2010-12(11)/2009 दि0-31 मार्च, 2010 द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशानुसार कार्यवाही की जायेगी।

(9) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार एवं शासन के वित्त विभाग को वर्षान्त तक अवश्य उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चि किया जाय।

(10) अप्रयुक्त धनराशि बजट मैनुअल के प्रावधानों के अन्तर्गत समय सारणी के अनुसार समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

क्रमशः.....2

(11) निर्माण कार्यों के लागत व समय वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए कड़ी कार्यवाही व संघन अनुश्रवण किया जायेगा एवं इस हेतु बजट मैनुअल के प्रस्तर-211(डी) की अनुपालन सुनिश्चित की जायेगी।

(12) निर्गत की जा रही वित्तीय स्वीकृतियों से कराये जाने वाले कार्यों की सूचना यथा आवश्यतानुसार सुराज, भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं जनसेवा विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0-1638/XXX-1-12(25)/2011 दिनांक 08 दिसम्बर, 2011 द्वारा अपेक्षित राज्य सरकार की वैब साइट www.ua.nic.in तथा विभाग की वैब साइट यदि कोई हो पर अनिवार्य रूप से प्रकाशित की जायेगी और उन्हें समय-समय पर अध्यावधिक किया जायेगा।

(13) निर्गत की जा रही वित्तीय स्वीकृति का आवंटन पत्र कम्प्यूटर के माध्यम से जनरेट किया गया है एवं इसका Allotment Id S1311270133 है। आप भी अपने स्तर से अधिनस्थ आहरण वितरण अधिकारियों को कम्प्यूटर के माध्यम से online बजट आवंटन करना सुनिश्चित करेंगे.

2. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 के अनुदान सं0-27 के लेखाशीर्षक 4406-वानिकी तथा वन्य जीवन 01-वानिकी 800-अन्य व्यय 01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें 01-03- **''13वें वित्त आयोग के अन्तर्गत वनों का अनुरक्षण'' मानक मद 24-वृहत् निर्माण''** के नामे डाला जायेगा। इस प्रयोजन हेतु ऑन लाईन बजट आवंटन की हार्ड कॉपी सलंग्न की जा रही है।

3. ये आदेश वित्त विभाग के अ0शा0सं0- 94 (P)/XXVII(4)/2013, दि0 12 नवम्बर, 2013 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति सें जारी किये जा रहे हैं.

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय

(मनोज चन्दन)
अपर सचिव

संख्या- 4042 **(1)/X-2-2012, तद्दिनांकित.**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. उप महा निरीक्षक, वन, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को उनके पत्र सं0 12-8/2013-B-III दि0 13-09-2013 के क्रम में सूचनार्थ।
2. महालेखाकार(लेखा एवं लेखा परीक्षा), उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून।
3. महालेखाकार(आडिट), उत्तराखण्ड, वैभव पैलस, सी-1/105, इन्दिरानगर, देहरादून।
4. अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण, मूल्यांकन तथा लेखा परीक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
8. आयुक्त, कुमाऊं/गढ़वाल मण्डल।
9. सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, देहरादून।
11. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ/सम्बन्धित कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
12. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन, सचिवालय, देहरादून।
13. निदेशक, वित्त आयोग निदेशालय, उत्तराखण्ड शासन, सचिवालय, देहरादून।
14. प्रभारी, एन.आई.सी., उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
15. गार्ड फाइल।

(मनोज चन्दन)
अपर सचिव

शासनादेश संख्या– 4042 /X–2–2013–12(31)/2007 टी0सी0 दि0 14 .... नवम्बर 2013 का संलग्नक

(मानक मद – 24)

(धनराशि ₹ लाख में)

क्र0 सं0	कार्य योजना के अनुसार प्रस्तावित कार्य	भारत सरकार द्वारा अवमुक्त एवं गत वर्ष की अव्ययित कुल धनराशि	शासनादेश सं0 3465A दि0 19–09–2013 द्वारा स्वीकृत धनराशि	अवमुक्त की जा रही धनराशि
1.	अग्रिम मृदा कार्य	560	–	560
2.	अग्रिम मृदा कार्य (Meachanised)	553.75	–	553.75
3.	वृक्षारोपण	431.23	417.88	13.35
	वृक्षारोपण (Meachanised)	336.40	336.40	–
	रोड साईड/अरबन वृक्षारोपण in areas 2012-13	14.43	14.43	–
4.	पॉपलर वृक्षारोपण	131.41	–	131.41
5.	पॉपलर वृक्षारोपण 2012–13	28.41	–	28.41
6.	रोड साईड/अरबन वृक्षारोपण मृदा कार्य	50	–	50
7.	आवासीय एवं गैर आवासीय भवनों का निर्माण	100	–	–
8.	पुलों एवं पुलियाओं का निर्माण	100	–	–
9.	नर्सरी पुर्ननिर्माण	10	–	10
	योग	2315.63	768.71	1346.92

(मनोज चन्दन)
अपर सचिव